

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

पटना, दिनांक / 2018
अधिसूचना

संख्या 15/एम 1-44/2015 / बिहार राज्य के कटिहार में
निजी क्षेत्र में अल-करीम विश्वविद्यालय, कटिहार की स्थापना हेतु प्रायोजक निकाय
अल-करीम एजुकेशनल ट्रस्ट से प्राप्त प्रस्ताव/परियोजना प्रतिवेदन की बिहार निजी
विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 की घारा 4 के अधीन समीक्षोपरांत एवं राज्य सरकार के स्तर
से विश्वविद्यालय स्थापना हेतु निर्गत किए गए आशय पत्र में निहित शर्तों के अनुपालन की
सम्यक् जाँचोपरांत बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 की घारा 6 के तहत
अल-करीम एजुकेशनल ट्रस्ट को बिहार राज्य के कटिहार में निजी क्षेत्र में अल-करीम
विश्वविद्यालय, कटिहार के नाम से विश्वविद्यालय की स्थापना एवं इसके कार्य संचालन की
अनुमति प्रदान की जाती है। इस विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

यह विश्वविद्यालय अल-करीम विश्वविद्यालय, कटिहार के नाम से एक निगमित
निकाय होगा और इसका शाश्वत उत्तराधिकार एवं सामान्य मुहर (सील) होगी। इसे चल और
अचल दोनों प्रकार की सम्पत्ति अर्जित करने तथा धारण करने और संविदा करने की शक्ति
होगी तथा यह उक्त नाम से वाद ला सकेगा एवं इसपर वाद चलाया जा सकेगा।

यह विश्वविद्यालय स्ववित्त पोषित होगा और राज्य सरकार से किसी तरह के
अनुदान अथवा आर्थिक सहायता प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

इस विश्वविद्यालय का संचालन पूर्णतः बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम,
2013 में वर्णित प्रावधानों का अनुपालन करते हुए किया जाएगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

हॉ /—
(मनोज कुमार)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक 15/एम 1-44/2015

पटना, दिनांक

..... / 2018

प्रतिलिपि :— अवर सचिव, ई—गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार को राजकीय गजट में प्रकाशित करने हेतु अनुरोध के साथ प्रेषित।

ह० /—

(मनोज कुमार)
सरकार के अपर सचिव

झारांक 15/एम 1-44/2015 1065

पटना, दिनांक 15/6/2018

प्रतिलिपि :— श्री अहमद अशफाक करीम, अध्यक्ष, अल—करीम एजुकेशनल ट्रस्ट, फ्लैट नं— 304, कामिनी संजय मैनसन, अशियाना रोड, पटना— 14 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Manoj
15/6/18
(मनोज कुमार)
सरकार के अपर सचिव
2/